

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 498/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)  
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड पता ग्यारवीं मंजिल टावर ए, पेनिनसुला विजनेस पार्क  
गणपन्नराव कदम मार्ग लोअर पारेल मुम्बई

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. योगेश मोदी
2. रमेश मोदी उर्फ रमेश चन्द मोदी

पता—प्लॉट नम्बर 1912, खेजडों का रास्ता, वार्ड नम्बर 61, जीआरपी, चांदपोल बाजार सांगानेर जयपुर  
एवं रेजिडेन्सियल यूनिट नम्बर फ्लैट नम्बर जी-3, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर डी-89, योजना मंगलम  
सिटी, डी-ब्लाक, ग्राम हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर  
एवं मैसर्स एस के कलेक्शन, 224, सौखियों का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

**The application under section 14 of The  
Securitisation and Reconstruction of Financial  
Assets and Enforcement of Security Interest  
Act, 2002.**

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.06.2023



संदर्भ में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु प्रमाणित प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री योगेश मोदी के स्वामित्व की सम्पत्ति यूनिट नम्बर फ्लैट नम्बर जी-3, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर डी-89, योजना मंगलम सिटी, डी-ब्लाक, ग्राम हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर कुल क्षेत्रफल 750 वर्ग फीट बन्धक रख कर दिनांक 29.12.2020 को ऋण सुविधा एवं उक्त ऋण को दिनांक 23.01.2021 को रि-स्ट्रक्चर कर कुल राशि 17,14,872/- रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.11.2022 को रजिस्टर्ड/कोरियर से नोटिस जारी किये। उक्त नोटिस दी इण्डियन एक्सप्रेस व सीमा संदेश अखबारों में साया भी करवाया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास

40  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तादुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दरतावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 17,14,872/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 18,38,219/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 22.11.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिपत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।



The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री योगेश मोदी के स्वामित्व की सम्पत्ति यूनिट नम्बर फ्लैट नम्बर जी-3, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर डी-89, योजना मंगलम सिटी, डी-ब्लॉक, ग्राम हाथोज, कालवाड रोड, जयपुर कुल क्षेत्रफल 750 वर्ग फीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

प्रकाश राजपुरोहित  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर